न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–90/2018
बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम महेन्द्र पासवान एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
09.10.2018	**आदेश** उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–152/भी0ओ0, दिनांक–08.02.2018 से प्राप्त रैयाम थाना कांड सं0–58/17 दिनांक 20.12.2017 बिहार मद्य निषद्य एवं उत्पाद अधिनियम यथा संशोधित–2016 के अन्तर्गत अवैध शराब के चौर्य व्यापार एवं परिवहन में संलिप्त पाये जाने के कारण जब्त वाहन हीरो होण्डा सी0डी0 डीलक्स पंजीयन सं0–BR7K-1752 के राज्यसात् हेतु अनुसंशा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन सवामी को नोटिस निर्गत करते हुए कारण पृच्छा की मांग की गयी। तत्पश्चात् कारण पृच्छा प्राप्त है जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक 20.12.2017 को गश्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर बनसारा से ग्रामीण खरंजा सड़क से होते हुए सुखलालपुर की तरफ जा रहे दो व्यक्ति जो मोटर साईकिल पर सवार होकर आ रहे थे। उक्त मोटर साईकिल को रोककर नाम/पता पूछते हुए दो स्वतंत्र साक्षी के सामने मोटर साईकिल के डिक्की को चेक किया गया, तो उसमें से दो हरे रंग के प्लास्टिक के बोतल में रखा लगभग 03 (तीन) लीटर देशी शराब पाया गया, जिसे विधिवत जब्त किया गया। पकड़ाये गये दोनों व्यक्ति का नाम क्रमशः महेन्द्र पासवान, पे0–स्व0 सूरज पासवान तथा अशोक यादव पे0–स्व0 सकुनी यादव, साकिन चक्का लहवार, थाना–केवटी, जिला–दरभंगा है। चूँकि बिहार में अवैध शराब का कारोबार दण्डनीय अपराध है इसलिए जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये। इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक 1064/भी0ओ0 दिनांक 03.07.2018 से उक्त जब्त वाहन के स्वामी का नाम/पता प्राप्त हुआ है। जिसमें वाहन स्वामी का नाम शिवजी साहु, पे0–स्व0 अच्छेलाल साहु, ग्राम–मुरिया, थाना–सदर दरभंगा अंकित है। परन्तु उक्त पत्र के साथ वाहन का अनिल कुमार, पे0–रधुनाथ प्रसाद, साकिन–धोबगामा, थाना–केवटी, जिला–दरभंगा को बेचने संबंधी प्रतिवेदन संलग्न है। जिसमें साक्ष्य के रूप में उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। उक्त कागजात के अवलोकन से वाहन स्वामी वर्त्तमान में अनिल कुमार, पे0–रघुनाथ प्रसाद, साकिन–धोबगामा, थाना–केवटी, जिला–दरभंगा है। उक्त के आधार पर वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तत्पश्चात् वाहन स्वामी की ओर से प्रत्युत्तर प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है।	

वाहन स्वामी की ओर विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि उक्त थाना कांड सं0–58/2017 के अभियुक्त नहीं हैं, जिसमें उक्त वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। उन्होंने जब्त वाहन को दिनांक 20.10.2016 को रामसुफल यादव पे0–स्व0 जीवछ यादव, ग्राम–चक्का, लहवार, थाना–केवटी, जिला–दरभंगा को उचित मूल्य पर बेच दिया। उनके द्वारा वाहन का नामांतरण हेतु सभी कागजात क्रेता को हस्ताक्षर कर सुपुर्द किया था। वाहन के विक्रय संबंधी गवाह युक्त कागज प्रस्तुत है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उक्त जब्त वाहन से उन्हें कोई लेना–देना नहीं है। अतः उन्हें इस वाद की कार्यवाही से मुक्त करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि रैयाम थाना कांड सं0–58/17 दिनांक 20.12.2017 में जब्त मोटर साईकिल BR7K-1752 से अवैध शराब का परिवहन किया गया है, जो बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम का घोर उल्लंघन है। साथ ही उक्त वाहन के स्वामित्व से संबंधित किसी के द्वारा दावा भी नहीं किया गया है।

अतएवं रैयाम थाना कांड सं0–58/17 दिनांक 20.12.2017 में अवैध शराब एवं चौर्य व्यापार एवं परिवहन में संलिप्त पाये जाने के कारण बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम यथा संशोधित–2016 की धारा 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत जब्त वाहन निबंधन सं0–BR7K-1752 को राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति अधीक्षक उत्पाद, दरभंगा को अनुपालनार्थ भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा	09/10/18 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा